


## प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली एवं समाज कल्याण संचालनालय रायपुर से प्राप्त निर्देशानुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 50 के प्रावधान अनुसार जिले में संचालित निजी कोचिंग संस्थानों में यू.पी.एस.सी., पी.एस.सी., एस.एस.सी., रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग सेवा आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तथा आई.आई.टी. जे.ई.ई., एन.ई.ई.टी. आदि में प्रवेश के लिये दिव्यांगजनों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है।

अतः ऐसे दिव्यांगजन जो उपरोक्त संकायों में कोचिंग करने के इच्छुक हैं, एवं जिनका परिवार का सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख या इससे कम हो अपनी योग्यता और पात्रता के आधार पर जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ उप संचालक समाज कल्याण कार्यालय रायगढ़ में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।


  
उप संचालक  
समाज कल्याण  
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

कार्यालय उप संचालक, समाज कल्याण जिला रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्रमांक/स.क./2019-20/1215  
प्रतिलिपि :-

रायगढ़ दिनांक 15/07/2019

1. उप संचालक जन सम्पर्क रायगढ़ को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ को प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
3. नोडल आफिसर उच्च शिक्षा कि.शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ को प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
4. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला रायगढ़ को प्रचार-प्रसार हेतु।

  
उप संचालक  
समाज कल्याण  
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

1275  
17.7.19